Gazette Notification 19th November, 2010

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010

क्रमांक 2955/मप्रविनिआ/2010. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) (जी) सहपठित धारा 32 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 19 मई, 2006 को अधिसूचित मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम पुनरीक्षण) विनियम 2006 (आरजी–16, वर्ष 2006) में निम्नानुसार संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम पुनरीक्षण) विनियम 2006 में तृतीय संशोधन

1. <u>प्रस्तावना</u>

भारतीय रिजर्व बैंक ने ''प्रधान ऋण प्रदाय दर (Prime Lending Rate)'' प्रणाली के स्थान पर ''आधार दर (Base Rate)'' प्रणाली लागू किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये हैं । अतएव नवीन प्रणाली से संरेखित, वर्तमान विनियमों को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

2. <u>संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ</u> : 2.1 (i) ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम पुनरीक्षण) विनियम 2006 (तृतीय संशोधन) [एआरजी–16(iii), वर्ष 2010]''** कहलाएंगे ।

2.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2.3 ये विनियम ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं को, जो मध्यप्रदेश राज्य में राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली एवं राज्यान्तरिक विद्युत उत्पादन स्टेशनों का उपयोग कर रहे हैं तथा जिनका अनुवीक्षण तथा सेवा प्रदाय कार्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जा रहा है, को लागू होंगे ।

3. <u>विनियम 9 में संशोधन</u> :

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम पुनरीक्षण) विनियम 2006 की **कण्डिका 9.9 (ii)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

''9.9 कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार :

(ii) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा गणना की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना उक्त वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को प्रयोज्य स्टेट बैंक आधार दर में चार प्रतिशत जोड़कर, की जाएगी । कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण न लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजी ऋण मानकीकृत आधार पर वांछित कार्यकारी पूंजी की तुलना में अधिक हो गई हो ।''

आयोग के आदेशानुसार

पी.के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव